कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला,कबीरधाम

सहायक ग्रेड–03 के पद पूर्ति हेतु विज्ञापन

क्रमांक /2095/ स्था0 / मबावि / सीधी भर्ती / 2012 कवर्धा,दिनांक 16 / 10 / 2012

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर छ0ग0 के पत्र क्रमांक 3392 / संचा / स्था0–2 / 2012–13 रायपुर, दिनांक 29.08.2012 द्वारा प्राप्त निर्देश अनुसार जिले में सहायक ग्रेड–03 के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए छ0ग0 राज्य के स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है। पात्रता रखने वाले इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र पूर्ण जानकारी एवं प्रमाण पत्रों की सत्यप्रति के साथ कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कबीरधाम (एस.पी.ऑफिस के पास कवर्धा) (छ0ग0) को पंजीकृत डाक से भेज सकते है। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 16.11.2012 को सायं 5:30 बजे तक होगी बाद में प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

रिक्त पदों का विवरण :–

क्रमांक	पद का नाम एवं वेतनमान	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद						मुक्त पद	
			अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग			
			पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहायक ग्रेड 03 5200-20200 ग्रेड पे -1900	04	1	0	1	0	0	0	1	1

सहायक ग्रेड–03 पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :–

1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण
2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा
3. कम्प्युटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (KEY) डिप्रेशन प्रति घंटा गति होना चाहिये।

चयन प्रकिया :–

1. प्राप्त आवेदन पत्रों एवं पात्रता की जॉच उपरांत प्रथम स्तर में कक्षा 12वीं में प्राप्त अंको के आधार पर पदों के आरक्षण को ध्यान में रखते हुए 1:8 के अनुपात में कौशल परीक्षा हेतु आंमत्रित किया जायेगा।
2. कक्षा 12वीं के प्राप्तांक का 75 प्रतिशत एवं कौशल परीक्षा हेतु 25 अंक चयन समिति द्वारा निर्धारित किया गया है। अतः कुल 100 अंक में सहायक ग्रेड–03 पद हेतु मेरिट के आधार पर चयन होगा।

नियम एवं शर्ते :–

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. दिनांक 01.01.2013 की स्थिति में आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री परीक्षा की अंकसूची/सर्टिफिकेट राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
3. अनुसूचित जाति, जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, निःशक्त, अतिशेष घोषित कर्मचारी, अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पार्टनर, शहीद राजीव पाण्डे, गुण्डाधुर, प्रवीरचन्द भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ीयों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यार्थियों, महिला आवेदिकाओं आदि अन्य आवेदको को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित एवं वर्तमान में लागू नियमों के अधीन आयुसीमा में छूट दी जायेगी।
4. आयुसीमा में छुट के लिए शासन द्वारा समय पर प्रसारित निर्देशों के अंतर्गत वांछित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिये।
6. कोई भी आवेदक/आवेदिका जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।
7. कोई भी आवेदक जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। इस संबंध में आवेदन पत्र के साथ नोटरी द्वारा जारी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
8. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र तथा रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर लगाना होगा।
10. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 9X4" का लिफाफा जिस पर 5/– रू का टिकट चस्पा हो, संलग्न करें।
11. निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप विज्ञापन में दिया हुआ है। आवेदकों द्वारा कार्यालयीन नोटिस बोर्ड में भी देखा जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन नही करने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
12. सभी नियुक्तियॉ पूर्णतः अस्थायी तथा परिवीक्षा पर होगी। चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गयी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी। तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
13. लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से नाम एवं वर्ग लिखा होना चाहिए
14. चयनित सहायक श्रेणी 03 की पदस्थापना जिले के विभिन्न विकासखण्डों में स्थित एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं एवं जिला कार्यालय अथवा जिले के अधीन संचालित संस्था के रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार जिले में कहीं भी की जा सकेगी। अतः आवेदन भरते समय आवेदकगण इस तथ्य को भलीभॉति समझ ले ।
15. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
16. समस्त आवेदकों से निःशुल्क आवेदन स्वीकार्य है। प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच उपरांत अहर्ताधारी अभ्यार्थियों को यदि आवश्यक हो तो कौशल परीक्षा के लिए

उपस्थित होने की सूचना दी जायेगी। उक्त संबंध में किये गये यात्रा हेतु किराया या भत्ते की पात्रता नही होगी।

17. आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों आरक्षित वर्ग के प्रमाण में इस हेतु **सक्षम जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति,** का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि मेरिट लिस्ट/प्रतीक्षा सूची आदेश जारी होने के एक वर्ष तक वैध होगी तथा भविष्य में पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से सहायक ग्रेड–03 के पद रिक्त अथवा सृजित होने संबंधी तथ्य को ध्यान में रखकर आवेदकों के वर्गवार पृथक–पृथक मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी। अतः पिछड़ा वर्ग के आवेदक भी भविष्य की रिक्तयों की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के प्रमाण पत्र संलग्न करें, अन्यथा भविष्य की रिक्तयों में उनकी गणना सामान्य अभ्यार्थीयों में की जायेगी।

18.(i) **किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आशय यह कम्प्युटर प्रमाण पत्र के मान्य करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश** कमांक/एफ–9–4/2005/1/3 दिनांक 07.06.2007 में मान्य किये गये संस्थाओं द्वारा जारी कम्प्युटर प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा। जो निम्नानुसार है :– मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन/राज्य तकनीकी विश्व विद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्युटर सारंस/इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी/मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा **(02 वर्ष से अन्यून)**

(ii) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डिम्ड युनिवर्सिटी/मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्युटर साइंस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्युटर एप्लीकेशन में पी0जी0 डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।

(iii) **DOEACC Society New Delhi** द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा, एवं

(iv) मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. द्वारा कम्प्युटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में प्रदत्त एक वर्षीय सर्टिफिकेट

19. चयनित अभ्यर्थियों के किसी कारण से समय सीमा अंतर्गत पदभार ग्रहण नही करने आवश्यक मूल अभिलेख उपलब्ध कराने में अथवा मेडिकल बोर्ड के स्वास्थ्य परीक्षण में असफल रहने की स्थिति में पात्रता कम के ठीक नीचे के आवेदक की नियुक्ति की जायेगी। मेरिट लिस्ट अनुसार प्रतीक्षा सूची की वैधता आदेश जारी होने के एक वर्ष तक रहेगी।

20. चयनित अभ्यार्थियों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य परीक्षण में सफल होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेगें। जो अभ्यर्थी उक्त कार्यो में असफल रहेंगें उनका नाम नियुक्ति प्रकिया से पूर्णतया पृथक कर दिया जावेगा।

21. पदों की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

22. जारी विज्ञापन शासन के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत है। अतः भर्ती प्रकिया शासकीय नियमों के अधीन एवं मुख्य आधार होगें।

23. पदों की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है एवं जारी विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त अथवा संसोधित किये जा सकेगें।

24. आयुसीमा में छुट हेतु शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित वर्तमान में प्रभावी सभी निर्देशों के अनुकम में अभ्यार्थियों को छुट दी जायेगी। अतः आवेदक अपने आयु

सीमा में छुट हेतु शासकीय नियमों निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर ले एवं उसके प्रमाण स्वरूप आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज आवेदन के साथ उपलब्ध करायें।

25. भर्ती प्रकिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास सुरक्षित रहेगा।

26. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अहर्ताओं एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। केवल आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने का अर्थ यह नही होगा कि आवेदक को योग्य मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उसके आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जावेगी। आवेदनों के द्वारा, चयन हेतु किसी भी प्रकार का राजनैतिक/प्रशासनिक दबाव डालते है तो उनकी उम्मीदवारी स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।

27. प्रत्येक आवेदक को चाहिये की विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें, यदि आवेदन पत्र में जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि एवं अपूर्णता की दशा में चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को बिना सूचना दिये आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। आवेदक अपना आवेदन इस प्रकार से भेजें कि 16.11.2012 को सायं 5:30 तक जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय कबीरधाम को प्राप्त हो जाये। विलंब से प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किये जायेगें। तथा इसकी जिम्मेदारी विभाग की नही होगी।

कलेक्टर
जिला–कबीरधाम

पृ0कमांक/2096/स्था0/मबावि/सीधी भर्ती/2012 कवर्धा, दिनांक 16/10/2012

प्रतिलिपिः–

1. सचिव सह–आयुक्त, महिला एवं बाल विकास संचालनालय मबावि को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, संचालनालय जनसंपर्क विभाग रायपुर छ0ग0 को उपरोक्तानुसार विज्ञापन राज्य स्तरीय बहुप्रसारित समाचार पत्रों एवं रोजगार नियोजन में प्रकाशन हेतु सादर सम्प्रेषित।
3. सहायक संचालक, जनसंपर्क कबीरधाम को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
4. जिला रोजगार अधिकारी, कार्यालय जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कबीरधाम को पंजीकृत इच्छुक आवेदकों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, **(NIC)** कबीरधाम को जिला एवं राज्य के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
जिला–कबीरधाम

सहायक ग्रेड–03 के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हाल ही की पासपोर्ट साईज का फोटो

प्रति,

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,
जिला–कबीरधाम (छ0ग0)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :–...
   (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में) :–...
2. लिंग (पुरूष / महिला) :–...
   (महिला आवेदिकाओं को :–...
   नियमानुसार (आयु सीमा में छुट :–...
   की पात्रता होगी) :–...
3. पिता / पति का नाम :–...
4. प्रवर्ग(सामान्य / अ.पि.व. / अ.जा. / अ.ज.जा.):–...
5. (आरक्षित वर्ग इस हेतु गठित जाति सक्षम प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें। :–...
6. जन्मतिथि (अंको में) :–...
   (शब्दों में) :–...
7. दिनांक 01 / 01 / 2013 को आयु :–...
8. स्थायी पता :–...
   :–...
9. पत्र व्यवहार का पता :–...
   (दूरभाष कमांक सहित) :–...
10. **शैक्षणिक योग्यता** :–...

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1							
2							
3							
4							
5							

11. आवेदक गण इसमें 10+2 परीक्षा तथा कम्प्युटर संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण का विवरण मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर / प्रोगामिंग में डिप्लोमा आदि का विवरण राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। :–...
12. रोजगार कार्यालय का नाम एवं पंजीयन कमांक तथा दिनांक :–...

13. क्या आप विवाहित हैं ? :—...
यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि

14. जीवित बच्चों की संख्या :—...
(बच्चों का नाम/लिंग एवं जन्मतिथि सहित)

15. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत हैं :—...
(यदि हॉ तो कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) :—...

16. भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांगता की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें। :—...

17. क्या आवेदक/आवेदिका शासन के नियमों के अंतर्गत आयु सीमा में कोई अन्य छुट चाहते है, यदि जॉ तो विवरण दें एवं जिस हेतु छुट चाहते है उससे संबंधित वांछित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। :—...

टीपः— जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। तथा आवेदक/आवेदिका के दो से अधिक जीवित बच्चे जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा इस संबंध में नोटरी द्वारा जारी शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की सूची :—

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

आवेदक के हस्ताक्षर

//घोषण पत्र//

मैं घोषणा करती/करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण अभिलेख पूर्णतः सत्य एवं सही है। कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन उपरांत भी मेरी नियुक्ति बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक ....
स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर

....

(आवेदक का पूरा नाम)